

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 108 / 2024

निर्णय दिनांक : 25.11.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 218

भजन लाल पुत्र रामदेवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा सुजानगढ़ जिला चूरु

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

.....प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :-

1. श्री नेमीचन्द गोदारा एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 02 परोकार राज उपस्थित।



—:निर्णय:—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 311 के खसरा संख्या 48 तादादी 2.0232 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम भजूराम पुत्र मोहनी देवी के नाम 1/7 हिस्सा की खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम भजनलाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी रामदेवाराम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरुस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम भजूराम पुत्र मोहनी देवी हिस्सा 1/7 जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम भजन लाल पुत्र मोहनीदेवी जाति मेघवाल है। भजूराम व भजन लाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अलग-अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भजूराम पुत्र मोहनीदेवी के स्थान पर भजन लाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी रामदेवाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम भजनलाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी रामदेवाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 311 के खसरा संख्या 48 तादादी 2.0232 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम भजूराम पुत्र मोहनी देवी जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा खातेदार के स्थान पर भजनलाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी रामदेवाराम जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को टंकित करवाया जाकर सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



को
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़, अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
वडजलास श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

भजनलाल बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती
मुकदमा न0 108 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रुहाजरी श्री नेमीचनद गोदारा एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 311 के खसरा संख्या 48 तादादी 2.0232 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम भजूराम पुत्र मोहनी देवी जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा खातेदार के स्थान पर भजनलाल पुत्र मोहनीदेवी पत्नी रामदेवाराम जाति मेघवाल निवासी बाघसरा आथूणा खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.....मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक
को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 11. 2024



(हस्ताक्षर)
ओमप्रकाश अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये